"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2012—वैशाख 28, शक 1934

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

कोटा, दिनांक 11 अप्रैल 2012

रा.प्र.क्र. 01/ब-113/2011-12

[छ.ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5 (2) तथा छ.ग. पब्लिक ट्रस्ट नियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/644/वा.-1/अ.वि.अ./2011.—चूंकि श्रीमती अनुसुईया राजपूत उच्च न्यायालय अधिवक्ता व्यवस्थापनकर्ता चैरेटी ट्रस्ट द्वारा श्री सिद्ध शक्तिपीठ माँ चण्डी देवी प्रबंधक लोक न्यास संवराबांधा राम भवन डिंडोल चैरेटी ट्रस्ट कोटा में छ.ग. पब्लिक ट्रस्ट की धारा 4 के तहत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं अथवा अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

फरिहा आलम सिद्दिकी,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव

डोंगरगांव, दिनांक 24 मार्च 2012

प्रारूप क्र. 5
[देखें नियम 5 (1)]

[छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्य प्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव के समक्ष

रा.प्र.क्र. 01-बी-113 वर्ष 2011-12

क्रमांक/368/लो.न्या.पं./2012.—यत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ.ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए, मैं एच. आर. कंवर लोक न्यासों का पंजीयक डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव मेरे न्यायालय में 26 अप्रैल 2012 दिन मंगलवार के दिन के 11.00 बजे कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री मां करियाम पाट मंदिर समिति ग्राम लाममेटा, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
(2)	संपत्ति	:	दुर्ग, राजनांदगांव ग्रामीण बैंक शाखा छुरिया के खाता क्रमांक 7506 में 22634.00 रु. जमा है.

एच. आर. कंवर,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमंडलाधिकारी सुकमा, वनमंडल सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)

सुकमा, दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्रमांक/87.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र कोन्टा के ग्राम एर्राबोर के वन कालोनी में दिनांक 21-05-2002 के दरम्यानी रात्रि 10.00 बजे के लगभग अज्ञात तत्वों द्वारा परिसर रक्षक एर्राबोर के शासकीय आवास एवं साथ में लगे निस्तार डिपो में आगजनी की गई. आगजनी की घटना में अन्य सामग्रियों के साथ बीट एर्राबोर का बीट हैमर जिसका क्रमांक S ↑B 57 था. आगजनी की घटना में गुम हो गया है. इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट कोन्टा पुलिस थाने में दर्ज की जा चुकी है.

वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उपरोक्त बीट हैमर वनमंडल के स्टाक से अलग कर अपलेखित किया जाता है उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस बीट हैमर को अनाधिकृत रूप से रखते हुये अथवा उपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आंवश्यक कार्यवाही की जावेगी तथा वह दण्ड का भागी होगा.

नवीद शुजाउद्दीन,
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.